

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर

REF. 1169/OA No. 665/2019 Arjun V/s State of Haryana/2019 Dated 02.11.2019

To, =

Registrar General
Public Grievance Cell
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.

Subject:-Compliance report of Hon'ble National Green Tribunal order Dated-21.08.2019 under original application no. 665/2019 Arjun V/s State of Haryana.

Sir,

The Hon'ble National Green Tribunal has passed following order Dated-21.08.2019 under original application no. 665/2019 Arjun V/s State of Haryana.

“Let the District Magistrate, Saharanpur, Uttar Pradesh and the District Magistrate, Yamunagar Haryana along with the State PCBs of the respective States look in to the matter, take appropriate action and furnish a factual and action taken report within two months by e-mail at ngt- judicial @gov.in. The nodal agency for coordination and compliance will be the State PCBs.”

In compliance of the Hon'ble National Green Tribunal order, the joint inspection team was formed vide this office letter No 1011/OA No.665/2019 Arjun V/s State of Haryana/2019 dated 18.9.2019(copy enclosed) comprising of Mining Officer Saharanpur, Regional Officer Uttar Pradesh Pollution Control Board Saharanpur and SDM, Tehsil Behat, Saharanpur. The Joint inspection has been done on dated 25.9.2019. The factual and action taken report regarding illegal mining and operation of stone crushers along with related documents are attached here with for your kind perusal and further direction please.

Enclosed- As above.

[Total - 34 pages]

Your's Faithfully

(Alok Kumar Pandey)
District Magistrate
Saharanpur

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर।

पत्रांक 1011 / ओ0ए0सं0665 / 2019 अर्जुन बनाम हरियाणा राज्य / 2019

दिनांक : 18-9-2019

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

सेवा में,

1. उपजिलाधिकारी बेहट, सहारनपुर।
2. जिला खान अधिकारी, सहारनपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-665 / 2019 अर्जुन बनाम हरियाणा राज्य में पारित आदेश दिनांक-21.08.2019 के साथ संलग्न शिकायती पत्र के अनुसार गुरप्रीत सिंह बग्गा द्वारा जनपद-सहारनपुर की तहसील बेहट में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रेशर मेसर्स बाबा बन्दा नवाज स्टोन क्रेशर, मेसर्स शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, मेसर्स बाबा बंसी स्टोन क्रेशर, मेसर्स माजिद स्टोन क्रेशर, मेसर्स जय दुर्गा स्टोन क्रेशर एवं मेसर्स क्लासिक स्टोन क्रेशर द्वारा रायपुर व बरथा कोरसी में अवैध खनन किया जा रहा है और साथ ही सुन्दरपुर व कुरडीखेडा, खुशालीपुर में भी स्टोन क्रेशरों जैसे मेसर्स लोरेन्स स्टोन क्रेशर, सतपुरा, मेसर्स राव स्टोन क्रेशर, सतपुरा, मेसर्स शाकम्भरी स्टोन क्रेशर, कुरडीखेडा द्वारा जनपद-यमुनानगर के तहसील रादौर हरियाणा क्षेत्र में अवैध खनन कर संचालन किया जा रहा है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश में जिलाधिकारी सहारनपुर, उ0प्र0, जिलाधिकारी यमुनानगर, हरियाणा एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा को प्रकरण की जांच कर यथोचित कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही का विवरण एवं आख्या मा0 अधिकरण को दो माह के अन्दर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। मा0 अधिकरण द्वारा प्रकरण की अग्रिम सुनवाई दिनांक-06.11.2019 को नियत की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु सन्दर्भित प्रकरण में संयुक्त जांच कर जांच आख्या 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जिससे की मा0 न्यायालय में ससमय जांच आख्या प्रेषित की जा सके। मा0 न्यायालय के आदेश एवं शिकायती पत्र की प्रति संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(आलोक कुमार पाण्डेय)

जिलाधिकारी,

सहारनपुर

on 8/9/19

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 सं0 665/2019 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2019 के अनुपालन में संयुक्त जाँच आख्या।

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर के पत्र संख्या 1011/ओ0ए0सं0 665/2019 अर्जुन बनाम हरियाणा राज्य/2019 दिनांक 18.09.2019 के अनुसार गुरप्रीत सिंह बग्गा द्वारा जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट में अवैध रूप से माइनिंग एवं संचालित स्टोन क्रेशर मै0 बाबा बन्दा नवाज स्टोन क्रेशर, मै0 शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, मै0 बाबा बंसी स्टोन क्रेशर, मै0 माजिद स्टोन क्रेशर, मै0 जय दुर्गा स्टोन क्रेशर एवं मै0 क्लासिक स्टोन क्रेशर रायपुर व बरथाकोरसी में अवैध खनन किया जा रहा है और साथ ही में सुन्दरपुर व कुरडीखेडा, खुशहालीपुर में भी स्टोन क्रेशरों जैसे मै0 लोरेन्स स्टोन क्रेशर- सतपुरा, मै0 राव स्टोन क्रेशर- सतपुरा, मै0 शाकुम्बरी स्टोन क्रेशर- कुरडीखेडा जनपद सहारनपुर की संयुक्त जाँच के सम्बन्ध में निर्देश दिये गए हैं।

उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी बेहट, जिला खान अधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहारनपुर द्वारा दिनांक 25.09.2019 को जाँच की गयी। संयुक्त जाँच के दौरान मै0 शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, मै0 बाबा बंसी स्टोन क्रेशर, मै0 माजिद स्टोन क्रेशर, मै0 जय दुर्गा स्टोन क्रेशर एवं मै0 क्लासिक स्टोन क्रेशर रायपुर व बरथाकोरसी तथा मै0 राव स्टोन क्रेशर- सतपुरा, मै0 शाकुम्बरी स्टोन क्रेशर- कुरडीखेडा जनपद सहारनपुर मौके पर संचालित नहीं पाये गए। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के ग्राम बरथाकोरसी में मै0 बन्दा नवाज स्टोन क्रेशर व ग्राम सतपुरा में मै0 लोरेन्स स्टोन क्रेशर नाम के कोई भी क्रेशर स्थापित नहीं है। जनपद सहारनपुर के ग्राम नुनियारी में 05 वर्षीय बालू/बजरी/बोल्डर का खनन पट्टा बजाड कान्ट्रैक्टर प्रो0 श्री नसीम खान के पक्ष में स्वीकृत एवं संचालित है। पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार मानसून सत्र अर्थात् 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक नदी तल में खनन कार्य बन्द रहता है। जहाँ तक गुरप्रीत सिंह बग्गा का सम्बन्ध है, जनपद सहारनपुर में गुरप्रीत सिंह बग्गा के नाम से कोई खनन पट्टा अथवा खनन अनुज्ञा स्वीकृत नहीं है, और न ही जाँच के दौरान गुरप्रीत सिंह बग्गा अवैध खनन करते हुए पाये गये। सहारनपुर में स्टोन क्रेशर संचालको द्वारा ग्राम नुनियारी से ई0 एम0एम0-11 द्वारा बालू/बजरी/बोल्डर के प्रपत्र पर गिटटी का निर्माण कर परिवहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में यमुनानगर (हरियाणा) एवं उत्तराखण्ड से भी अभिवहन प्रपत्र द्वारा बालू/बजरी/ बोल्डर लाया जाता है। अवैध खनन के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि समय-समय पर जाँच की जाती रही है एवं अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध सम्बन्धित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी हैं। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट में नियम विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रेशरों में 1-रायल स्टोन क्रेशर, मु0अ0सं0 0139 दिनांक 04.05.2019 2-शारदा स्टोन क्रेशर मु0अ0सं0 0076 दिनांक 17.05.2019 एवं 3- बाबा बंशी स्टोन क्रेशर तथा 4- मै0 मार्कण्डेय स्टोन क्रेशर मु0अ0सं0 0235 दिनांक 06.09.2019 द्वारा कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित थाने में सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अवैध परिवहन की जाँच में कवलजीत सिंह बतरा के अवैध अभिवहन प्रपत्र पकड़े जाने पर वाहन संख्या ट्रक यू0पी023टी-5286 एवं ट्रक यू0पी020एटी-1950 पर कार्यवाही की गयी है। इसी प्रकार यमुना नदी से अवैध खनन करने पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना मिर्जापुर में 09 व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 0065 दिनांक 25.04.2019 व 08 व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 0066 दिनांक 27.04.2019 द्वारा कुल 17 व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। हरियाणा राज्य के फर्जी परिवहन प्रपत्र पाये जाने के कारण थाना चिलकाना में 11 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट

0266 / 18.07.2019 व 0270 / 23.07.2019 दर्ज करायी गयी है। अवैध खनन एवं परिवहन हेतु समय-समय पर कार्यवाही की जाती रहती है।

संयुक्त जांच दिनांक 25.09.2019 के दौरान प्रश्नगत स्टोन केशरों का विस्तृत विवरण निम्नवत है:-

- मै0 बाबा बंसी स्टोन केशर ग्राम बरथा कोरसी, तहसील बेहट सहारनपुर:- निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री विश्वास चौहान उपस्थित थे। उक्त केशर को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सशर्त सहमति जल वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि 31.07.2020 तक है। तदोपरान्त उद्योग को निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक 729/सी/एसआरई/बी-11/2019 दिनांक 31.07.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है। निरीक्षण के समय केशर पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। स्टोन केशर स्थल पर संचालन सम्बन्धी कोई गतिविधि नहीं होती पायी गयी और न ही रॉ मैटेरियल भण्डारित पाया गया।
- मै0 जय दुर्गा इन्टरप्राइजेज, ग्राम बरथा कोरसी, तहसील बेहट जनपद सहारनपुर:- निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री जितेन्द्र कुमार, मुन्शी उपस्थित थे। उक्त केशर को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सशर्त सहमति जल वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि 31.07.2020 तक है। तदोपरान्त उद्योग को निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक 740/सी/एसआरई/डी-9/2019 दिनांक 03.08.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है। निरीक्षण के समय केशर पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। स्टोन केशर स्थल पर संचालन सम्बन्धी कोई गतिविधि नहीं होती पायी गयी और न ही रॉ मैटेरियल भण्डारित पाया गया।
- मै0 शिव शक्ति स्टोन केशर, ग्राम बरथा कोरसी, तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर:- निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री कुलदीप सिंह मुन्शी उपस्थित थे। उक्त केशर को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सशर्त सहमति जल वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि 31.07.2020 तक है। तदोपरान्त उद्योग को निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक 812/सी/एसआरई/एस-34/2019 दिनांक 08.08.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है। निरीक्षण के समय केशर पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। स्टोन केशर स्थल पर संचालन सम्बन्धी कोई गतिविधि नहीं होती पायी गयी और न ही रॉ मैटेरियल भण्डारित पाया गया।
- मै0 क्लासिक स्टोन केशर, ग्राम बरथा कोरसी, तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर:- निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री संजीव कुमार, मुन्शी उपस्थित थे। उक्त केशर को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सशर्त सहमति जल वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि 31.07.2020 तक है। तदोपरान्त उद्योग को निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक 730/सी/एसआरई/सी-6/2019 दिनांक 31.07.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है। निरीक्षण के समय केशर पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। स्टोन केशर स्थल पर संचालन सम्बन्धी कोई गतिविधि नहीं होती पायी गयी और न ही रॉ मैटेरियल भण्डारित पाया गया।
- मै0 माजिद स्टोन केशर एंड स्कीनिंग प्लान्ट, ग्राम मढती, पोस्ट रायपुर, तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर:- निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री खुर्शीद, प्रोपराइटर उपस्थित थे। उक्त केशर को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सशर्त सहमति जल वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि 31.07.2020 तक है। तदोपरान्त उद्योग को निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने

हेतु कार्यालय के पत्रांक 793/सी/एसआरई/एम-2/2019 दिनांक 08.08.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है। निरीक्षण के समय केशर पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। स्टोन केशर स्थल पर संचालन सम्बन्धी कोई गतिविधि नहीं होती पायी गयी और न ही राँ मैटेरियल भण्डारित पाया गया।


• मै0 राव स्टोन प्रोजेक्टस, ग्राम फतेहपुर पेला, तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर:- निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री किरणपाल, चौकीदार उपस्थित थे। उक्त केशर को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सशर्त सहमति जल वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि 31.07.2020 तक है। तदोपरान्त उद्योग को निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक 792/सी/एसआरई/ आर-4/2019 दिनांक 08.08.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है। निरीक्षण के समय केशर पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। स्टोन केशर स्थल पर संचालन सम्बन्धी कोई गतिविधि नहीं होती पायी गयी और न ही राँ मैटेरियल भण्डारित पाया गया।

• मै0 हिमालय स्टोन केशर (पूर्वनाम मै0 शाकुम्बरी स्टोन केशर), ग्राम कुरडीखेडा, तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर:- निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री संजय कुमार चौकीदार उपस्थित थे। उक्त केशर को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सशर्त सहमति जल वायु निर्गत की गयी है जिसकी वैधता अवधि 31.07.2020 तक है। तदोपरान्त उद्योग को निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक 788/सी/एसआरई/एच-8/2019 दिनांक 08.08.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है। निरीक्षण के समय केशर पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। स्टोन केशर स्थल पर संचालन सम्बन्धी कोई गतिविधि नहीं होती पायी गयी और न ही राँ मैटेरियल भण्डारित पाया गया।

• मै0 बाबा बन्दा नवाज स्टोन केशर, ग्राम बरथा कोरसी, तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर:- निरीक्षण के दौरान ग्राम बरथा कोरसी, तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर में उक्त नाम का कोई भी स्टोन केशर स्थापित नहीं पाया गया।

• मै0 लोरेन्स स्टोन केशर, ग्राम सतपुरा, तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर:- ग्राम सतपुरा तहसील बेहट जनपद सहारनपुर में उक्त नाम का कोई भी स्टोन केशर स्थापित नहीं पाया गया।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(आशीष कुमार)
खान अधिकारी
सहारनपुर।


(एस0आर0 मौर्या)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सहारनपुर।


(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी बेहट
सहारनपुर।

FIRST INFORMATION REPORT(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)1. District (जिला): सहारनपुर
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0139

P.S. (थाना): बेहट

Year (वर्ष): 2019

Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 04/05/2019 22:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	379
2	भा द सं 1860	411
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
4	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शनिवार

Date From (दिनांक से): 04/05/2019

Date To (दिनांक तक): 04/05/2019

Time Period (समय अवधि): पहर 7

Time From (समय से): 21:00 बजे

Time To (समय तक): 21:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 04/05/2019

Time (समय): 22:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 039

Date & Time (दिनांक और समय): 04/05/2019 22:45 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 15 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): रायल स्टोन केशर, ग्राम असलमपुर बरया

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री पी.के.सिंह खान अधिकारी मो0न0 8887534814

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1977

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फार्म -1)

(I) Occupation (व्यवसाय):

(J) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सलीम प्रधान रायल स्टोन केशर का मालिक			1. ग्राम संसारपुर, बेहट, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) - सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र. सं.) UIDS Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित... सेवा में थानाध्यक्ष थाना बेहट महोदय, आज दिनांक 4/5/2019 को समय 9:00 बजे रात्रि में ग्राम असलमपुर बरया में यमुना नदी के किनारे अवैध खनन की जांच की गयी। जांच टीम में खान अधिकारी सहारनपुर श्री पी0के0 सिंह, सर्वेक्षक श्री शिव कुमार एवं निदेशालय लखनऊ से जांच टीम में आये श्री आशीश टिवेदी, खान निरीक्षक आगरा में होमगार्ड श्री रविन्द कुमार (776), श्री संजय कुमार (442) व श्री सन्त दास (173) रहे। ग्राम असलमपुर बरया में यमुना नदी के किनारे रायल स्टोन केशर, जिसके स्वामी सलीम प्रधान ग्राम संसारपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर स्थित है, जिसके परिसर में बजरी 425 घ0मी0, कोरसेण्ड 165 घ0मी0, बोल्टर 410 घ0मी0, गिटटी 350 घ0मी0 व डस्ट 300 घ0मी0 भण्डारित किया गया है। रायल स्टोन केशर अवैध रूप बिना अनुमति के संचालित है एवं खनिजों के भण्डारण का लाइसेंस स्वीकृत नहीं है। यह स्टोन केशर नियमों के विपरीत संचालित किया जा रहा है। स्टोन केशर पर भण्डारित उपखनिज असलमपुर बरया नजदीक स्थित यमुना नदी से अवैध रूप से चोरी खनन कर लाया गया है। स्टोन केशर पर दो भारी जनरेटर लगाये गये हैं। स्टोन केशर स्वामी का उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 एवं 411 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 यथा संशोधित 2015 की धारा 4 एवं 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए स्टोन केशर स्वामी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कट करे एवं सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करने का कट करे। SD अग्नेजी अपठित 04/05/19 (आशीश टिवेदी) खान निरीक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग आगरा 8887534764 SD अग्नेजी अपठित 04/05/2019 (शिव कुमार) सर्वेक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग क्वैरी कार्यालय सहारनपुर SD अग्नेजी अपठित 04/05/2019 (पी0के0 सिंह) खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जनपद सहारनपुर मो0न0 8887534814 नोट- मै सीसी 1546 मोहित कुमार प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित की नकल शब्द व शब्द बोल बोल कर कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा टाईप करायी गयी है जिसको मेरे द्वारा पढ़कर पैक किया गया तो सही पायी गयी एवं जीडी में खुलासा व धाराओं का सही उल्लेख मुताबिक तहरीर मेरे द्वारा स्वयं किया गया है। sd सीसी 1546 मोहित कुमार

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मट सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): VIRENDRA SINGH Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No. (सं.): 0802012586 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया
(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): POLICE STATION BEHAT

Rank(पद): 1 (Inspector)

No.(सं.): 9454404177

FIRST INFORMATION REPORT(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)1. District (जिला): सहारनपुर P.S. (थाना): मिर्जापुर Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0076 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 17/05/2019 23:30 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	379
2	भा द सं 1860	411
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
4	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 17/05/2019 Date To (दिनांक तक): 17/05/2019
Time Period (समय अवधि): पहर 2 Time From (समय से): 06:30 बजे Time To (समय तक): 06:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 17/05/2019 Time (समय): 23:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 031 Date & Time (दिनांक और समय): 17/05/2019 23:15 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 15 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): शारदा स्टोन केशर लोधी बांस

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): पी0 के0 सिंह खान अधिकारी

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1968

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान अधिकारी सहारनपुर, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खान अधिकारी सहारनपुर, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत



(I) Occupation (व्यवसाय):

(J) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रहमान शारदा स्टोन केशर का मालिक			1. शारदा स्टोन केशर लोधी बांस, मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वाटी - सेवा में, थानाध्यक्ष थाना मिर्जापुर महोदय, आज दिनांक 17/05/2019 को सांय 6.30 बजे यमुना नदी के किनारे स्थित शारदा स्टोन केशर ग्राम लोधी बांस की जांच खान अधिकारी सहारनपुर द्वारा सर्वेक्षक एवं 03 होमगार्ड श्री रविन्द कुमार (776), श्री संजय कुमार (442) व सन्तदास (173) के साथ की गयी। मौके पर केशर संचालित होता हुआ पाया गया। जांच टीम के पहुँचते ही केशर पर उपस्थित कई व्यक्ति वहाँ से भाग गये। केशर पर मौजूद उप खनिज की सर्वेक्षक द्वारा पैमाईश की गयी, जिसमें बोल्ट 151 घ0मी0 कोर सैण्ड 104 घ0मी0 गिटटी 65 mm-308 घ0मी, गिटटी 20 mm 309 घ0मी0 गिटटी 10 mm 256 घ0मी0 गिटटी 6 mm 308, डस्ट 177 घ0मी0 व आर0बी0एम0 360 घ0मी मौजूद पाया गया। शारदा स्टोन केशर स्वामी रहमान निवासी नामालूम के द्वारा केशर का संचालन एवं खनिजों का भण्डारण बिना विधिवत अनुमति एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सहमति के बिना किया जा रहा है। केशन पर मौजूद उप खनिज नजदीक स्थित यमुना नदी से बनन कर लाया गया है। केशर स्वामी का उक्त कृत्य सरकारी सम्पत्ति की चोरी के कारण भारतीय टण्ड संहिता की धारा 379 व 411 के अन्तर्गत अपराध है एवं उत्तर प्रदेश उप खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 के नियमों का उल्लंघन है, जिसके लिये केशर स्वामी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। SD अंग्रेजी अपठित 17/5/2019 (पी0के0 सिंह) खान अधिकारी सहारनपुर SD अंग्रेजी अपठित (शिव कुमार) सर्वेक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सहारनपुर नोट: मैं एचसी 57 सोहनपाल सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल सीसीटीएनएस पर मेरे द्वारा बोल बोल कर कम्प्यूटर आपरेटर अमित पंचाल द्वारा शब्द ब शब्द अंकित करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item

(की गयी कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Mohd. Jahangeer

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 172650166

to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):




or (के कारण इंकार किया
(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / Informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):


Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): POLICE STATION MIRZAPUR
Rank(पद): 1 (Inspector)
No.(सं.): 9454404189


FIRST INFORMATION REPORT(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)1. District (ज़िला): सहारनपुर P.S. (थाना): बेहट Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0159 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 17/05/2019 22:42 बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा ट सं 1860	379
2	भा ट सं 1860	411
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
4	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
5	प्रिवेन्शन ऑफ डेमेज टु पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 1984	3(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 17/05/2019 Date To (दिनांक तक): 17/05/2019
Time Period (समय अवधि): पहर 7 Time From (समय से): 20:30 बजे Time To (समय तक): 20:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 17/05/2019 Time (समय): 22:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 058 Date & Time (दिनांक और समय): 17/05/2019 22:30 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 15 किमी = Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): बाबा बन्शी स्टोन केशर, ग्राम बरया कोरसी

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री पी.के. सिंह जिला खान अधिकारी

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	जिला खान अधिकारी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

2	स्थायी पता	जिला खान अधिकारी,सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
---	------------	---

(I) Occupation (व्यवसाय):

(J) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मोहित जैन		पिता का नाम : जितेन्द्र जैन	1. ग्राम महाजनान,बेहट,सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	सुरेन्द्र उर्फ पप्पी			1. ग्राम असलमपुर बरथा,बेहट,सहारनपुर, उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित... सेवा में, यानाध्यक्ष थाना बेहट महोदय, आज दिनांक 17/05/2019 को रात्रि 8.30 बजे ग्राम बरथा कोरसी स्थित बाबा बन्शी स्टोन केशर की जांच खान अधिकारी सहारनपुर के द्वारा सर्वेक्षक एवं 3 होम गार्ड श्री सन्त दास (173), श्री संजय कुमार (442), श्री रविन्द्र कुमार (776) व अमित कुमार कनिष्ठ सहायक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सहारनपुर के साथ किया गया। मौके पर केशर संचालित होता हुआ पाया गया। केशर के परिसर में कच्चा माल बालू, बजरी बोल्टर उपखनिज का भण्डारण पाया गया एवं क्रशड (Crushed) खनिज मौजूद पाया। सर्वेक्षक के आकलन के अनुसार मौजूद खनिजों की मात्रा गिट्टी 6 MM 844 घ0मी0, गिट्टी 20 MM 195 घ0मी0, गिट्टी 10 MM 104 घ0मी0, गिट्टी 65 MM 254 घ0मी0, डस्ट 494 घ0मी0, RBM 518 घ0मी0 बोल्टर 138 घ0मी0, बालू 336 घ0मी0 मौजूद पाया गया। जांच टीम को देखते ही स्टोन केशर मौजूद कई लोग मौके से भाग गये। एक व्यक्ति जिससे पुछताछ में यह बयान दिया कि मैं सतेन्द्र कुमार s/o धर्म सिंह R/O ग्राम अलीपुर धाना बेहट (गार्ड) मै0 बाबा बन्शी स्टोन केशर ग्राम बरथा कोरसी तहसील बेहट जनपद सहारनपुर बयान करता हूँ कि उपरोक्त केशर वर्तमान में संचालित (चालू) है। इस केशर पर कच्चा माल (आर0बी0एम0) ट्रैक्टरों से समीप यमुना नदी से आ रहा है। इसका मुन्शी का नाम सन्दीप है तथा ग्राम नौगांवा धाना बेहट जिला सहारनपुर का रहने वाला है। इसका स्वामी मोहित जैन S/O जितेन्द्र जैन R/O ग्राम महाजनान तहसील बेहट सहारनपुर है। मैं केशर पर चौकीदार का काम करता हूँ। केशर पर रात्री में कच्चा माल बरथा कोरसी में यमुना नदी से खोदकर ट्रैक्टर ट्राली से लाया जाता है। कच्चा माल की सप्लाई ग्राम असलमपुर बरथा के सुरेन्द्र उर्फ पप्पी द्वारा कराया जाता है। केशर पर 3 ट्रैक्टर ट्राली जिनके चेसिस न0 XM13006504668C1 इंजन न0 NJJ2TAE0027, चेसिस न0 XM19006504668C1 इंजन न0 NJJ2TAE0073 ट्राली पर अंकित संख्या UK-14CA- 2280 व चेसिस न0 XM21006504668C1 इंजन न0 NJH2TAE2332 सभी ट्रैक्टर लाल रंग बिना नम्बर व महेन्द्रा अर्जुन ultra 1555 DI मौजूद थे, जिसके बारे पुछताछ में बताया गया कि इन ट्रैक्टरों के द्वारा बरथा कोरसी में यमुना नदी से बालू, बजरी, बोल्टर खनन कर केशर पर लाया जाता है। मौके पर उपस्थित केशर के चौकीदार द्वारा मांगे जाने पर कच्चा माल एवं क्रशड खनिज के सम्बन्ध में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः केशर स्वामी एवं अवैध खनन कर केशर पर आपूर्तिकर्ता दोनों का कृत्य भारतीय टण्ड संहिता की धारा 379 एवं 411 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन है एवं टण्डनीय अपराध है। उपरोक्त केशर स्वामी एवं अवैध खनन कर आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कष्ट करें। sd अंग्रेजी अपठित 17/5/2019 (पी.के. सिंह) खान अधिकारी सहारनपुर sd अंग्रेजी अपठित 17-5-2019 (शिव कुमार) सर्वेक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जनपद सहारनपुर। नोट:- मै सीसी 1546 मोहित कुमार प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित की नकल शब्द व शब्द बोल बोल कर कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा टाईप करायी गयी है जिसको मेरे द्वारा पढ़कर चेक किया गया सही पायी गयी एवं जीडी मे खुलासा व धाराओं का सही उल्लेख

मुताबिक तहरीर मेरे द्वारा स्वयं किया गया है। sd सीसी 1546 मोहित कुमार।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SSI Satyaveer Singh Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.):892290868 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S.

District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): POLICE STATION BEHAT

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454404177

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): सहारनपुर P.S. (थाना): मिर्जापुर Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0235 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 06/09/2019 16:43 घंटे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
4	भा दं सं 1860	411
5	भा दं सं 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): शुक्रवार	Date from (दिनांक से): 06/09/2019	Date To (दिनांक तक): 06/09/2019
Time Period (समय अवधि): पहर 5	Time From (समय से): 13:30 बजे	Time To (समय तक): 13:30 बजे

- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Date (दिनांक): 06/09/2019 | Time (समय): 16:30 बजे |
|---------------------------|-----------------------|

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
- | | |
|--------------------------------|---|
| Entry No. (प्रविष्टि सं.): 023 | Date and Time (दिनांक और समय): 06/09/2019 16:30 बजे |
|--------------------------------|---|

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence
(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):
उत्तर - पश्चिम, 08 कि. मी.
- (b) Address (पता): मै0 मारकण्डे स्टोन क्रेशर , वहद ग्राम फतेहपुर,
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): मौ0 अजाज खान निरीक्षक
- (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
-----------------	------------------------------	---------------

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | वर्तमान पता | खान निरीक्षक सहारनपुर , सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2 | स्थायी पता | नि0 जी टाईप कालनी व थानशिवपुरी, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, भारत |

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुशील कुमार चौधरी		पिता का नाम : नामालूम	1. ग्राम गंगापुर, बरारा, अम्बाला, हरियाणा, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	अन्य	कच्चा माल	बालू बजरी बोलडर आदि	.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा मे थानाध्यक्ष थाना मिर्जापुर महोदय आज दिनांक 06/9/19 को दोपहर 1.30 बजे मै मारकण्डे स्टोन क्रेशर ग्राम फतेहरपुर थाना मिर्जापुर की जांच की गई । मौके पर क्रेशर संचालित होता हुआ पाया गया । क्रेशर के प्रंगण मे 01 गडढा पाया गया जिसमे से 3200 M3 का बालू बजरी बोलडर का अवैध खन्न किया गया है एवं क्रेशर पर उपलब्ध उपखनिज की पैमाइश अधोहस्ताक्षरी एवं स्टोन क्रेशर के मालिक के दोस्त श्री नवीन S/O हीरा लाल की उपस्थिति मे की गई । जिसमे गिटटी 53MM .301M3 , गिटटी 40MM .309M3 गिटटी 20MM - 306M3 , डस्ट 263M3, गिटटी 6MM 157M3 , गटका 58M बोलडर -80M3 पायी गयी । मै0 मारकण्डे स्टोन क्रेशर स्वामी श्री सुशील S/O नामालूम नि0 ग्राम गंगापुर थाना बरादा जनपद अम्बाला (हरियाणा) के द्वारा क्रेशर का संचालन एवं उपखनिजो का भंडारण बिना अनुमति के किया जा रहा है । क्रेशर स्वामी का उक्त कृत खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 व सरकारी सम्पत्ति की चोरी के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 व 411 व उत्तर प्रदेश उपखनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2018 एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की सुसंगत धारो मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करे। SD अंग्रेजी अपठित 06.09.19 मौ0 अजाज खान निरीक्षक सहारनपुर मो0न0 7869952201 S/O शेख आबिद नि0 जी टाईप कालोनी शिवपुरी थाना शिवपुरी जनपद छिंदवाडा (म0प्र0) दिनांक 06.09.19 संलग्नक सुपुर्दगी नामा मूल प्रति मे । नोट- मै एचसी 139 वीरेन्द्र कुमार प्रमाणित करता हूँ नकल तहरीर मेरे द्वारा बोल बोलकर कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द कम्प्यूटर आपरेटर अमित द्वारा टाईप की गयी ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
Shravan kumar
No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): POLICE STATION
MIRZAPUR DISTRICT
SAHARANPUR

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454404189

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7

1 2
1 पुरुष

चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dia
lect
(भाषा/बोली)

Place of (का स्थान)

Others (अन्य)

Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderm ^a (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)
14	15	16	17	18

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर।

(खनन अनुभाग)


संख्या 129 / खनिज / 2019

दिनांक: 24/04/2019

उपजिलाधिकारी
बेहट।


महोदय,

कृपया उपजिलाधिकारी बेहट की आख्या दिनांक 19.04.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा वाहन ट्रक न०- UP23T-5286 अवैध खनन सामग्री डस्ट होने के कारण वाहन को खनिज सहित पकड़ा गया है, वाहन स्वामी छोटे पुत्र श्री जहीर हुसैन निवासी ग्राम फत्तेहपुर अब्बू जोया जिला अमरोहा के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार प्रकरण का शमन किया गया है। वाहन स्वामी द्वारा रूपये 33,580/- का चालान संख्या DM23710 दिनांक 23.04.2019 को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है। रिपोर्ट में वाहन का न०- UP23T-5286 ट्रक यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो उक्त वाहन को खनिज सहित मुक्त करने की कृपा करें।


(पी०के०सिंह)
खान अधिकारी,
सहारनपुर।

संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- वाहन स्वामी/अधिकृत व्यक्ति/ड्राइवर को इस चेतावनी के साथ प्रेषित कि भविष्य में यदि उक्त अपराध की पुनरावृत्ति होती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


खान अधिकारी,
सहारनपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर।


(खनिज अनुभाग)

संख्या 152 / खनिज / 2019

दिनांक 5/04/2019

थानाध्यक्ष / थाना प्रभारी,
थाना- फतेहपुर।


कृपया थाना प्रभारी की आख्या दिनांक 22.04.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा वाहन न० UP20AT-1950 (ट्रक) अवैध खनिज सामग्री साधारण बालू होने के कारण वाहन को खनिज सहित पकड़ा गया है, वाहन स्वामी जाफर पुत्र श्री मो० यासीन निवासी रेहरा पोस्ट सब्दलपुर चांदपुर जिला बिजनौर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार प्रकरण का शमन किया गया है। वाहन स्वामी द्वारा रुपये 27,730/- का चालान संख्या DP38197 दिनांक 25.04.2019 को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है। रिपोर्ट में वाहन न०- UP20AT-1950 ट्रक यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो उक्त वाहन को खनिज सहित मुक्त कर दिया जाये।



(पी०के०सिंह)
खान अधिकारी,
सहारनपुर।

संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- वाहन स्वामी/अधिकृत व्यक्ति/ड्राइवर को इस चेतावनी के साथ प्रेषित कि भविष्य में यदि उक्त अपराध की पुनरावृत्ति होती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।



खान अधिकारी,
सहारनपुर।

FIRST INFORMATION REPORT(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)1. District (जिला): सहारनपुर P.S. (थाना): मिर्जापुर Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0065 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 25/04/2019 21:09 बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): गुरुवार Date From (दिनांक से): 25/04/2019 Date To (दिनांक तक): 25/04/2019
Time Period (समय अवधि): पहर 6 Time From (समय से): 17:12 बजे Time To (समय तक): 17:12 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 25/04/2019 Time (समय): 20:40 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 039 Date & Time (दिनांक और समय): 25/04/2019 20:40 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 14 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम लोधीवास

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री 0 एजाज खान निरीक्षक

(b) Father's Name (पिता का नाम):

शेख आविद

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान अनुभाग कलेक्ट्रेट सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खान अनुभाग कलेक्ट्रेट सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Signature
6.5.2019

(I) Occupation (व्यवसाय):

(J) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7869952201

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अजात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अजात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	इस्लाम		पिता का नाम : हाजी फतेह	1. ग्राम ताजेवाला, खिजराबाद, यमुना नगर, हरियाणा, भारत
2	फुरकान		पिता का नाम : रियाज	1. ग्राम ताजेवाला, खिजराबाद, यमुना नगर, हरियाणा, भारत
3	रिजवान		पिता का नाम : इस्लाम	1. ग्राम ताजेवाला, खिजराबाद, यमुना नगर, हरियाणा, भारत
4	इरफान		पिता का नाम : इस्लाम	1. ग्राम ताजेवाला, खिजराबाद, यमुना नगर, हरियाणा, भारत
5	अकरम		पिता का नाम : असलम	1. ग्राम ताजेवाला, खिजराबाद, यमुना नगर, हरियाणा, भारत
6	सददाम		पिता का नाम : यामिन	1. ग्राम ताजेवाला, खिजराबाद, यमुना नगर, हरियाणा, भारत
7	महताब		पिता का नाम : यामिन	1. ग्राम ताजेवाला, खिजराबाद, यमुना नगर, हरियाणा, भारत
8	राशिद		पिता का नाम : नामालुम	1. ग्राम ताजेवाला, खिजराबाद, यमुना नगर, हरियाणा, भारत
9	साजिद		पिता का नाम : हारून	1. ग्राम ताजेवाला, खिजराबाद, यमुना नगर, हरियाणा, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.):

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी: सेवा मे थानाध्यक्ष थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर महोदय अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री अवनीश कुमार पुत्र श्री फूल सिंह निवासी 108 बी.एल. रोड देहरादून (उत्तराखण्ड) द्वारा अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.19 कार्यालय मे पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है। जिसमे उल्लेख किया गया है प्रार्थी के व प्रार्थी के पिता फूल सिंह की मिलकिमति व काबिज एक काश्ता भूमि रकबई लगभग 100 बीघा ग्राम लोधीबांस परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर मे स्थित है जिसमे प्रार्थी व उसके पिता ने एक व्यक्ति श्री सुल्तान पुत्र अकबर को बतौर चौकीदार रखा हुआ है जो प्रार्थी व उसके पिता की मिलकियी काश्ता भूमि कि देखभाल करता है प्रार्थी व उसके पिता की भूमि पर विपक्षीगण 1. इस्लाम पुत्र श्री हाजी फतेह 2. फुरकान पुत्र रियाज 3. रिजवान पुत्र इस्लाम 4. इरफान पुत्र इस्लाम 5. अकरम पुत्र असलम 6. सददाम पुत्र यामिन 7. महताब पुत्र यामिन 8. राशिद 9. साजिद पुत्र हारून निवासीगण ग्राम ताजेवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा प्रार्थी व उसके पिता की भूमि पर जरबदस्ती कब्जा करके उस पर मौजूद रेत, बजरी, मिटटी आदि का अवैध तरीके से खनन करते है। अघोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25.04.19 को समय लगभग 5.12 PM बजे साय को प्रश्नगत क्षेत्र ग्राम लोधीबांस परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर की जांच शिकायतकर्ता के चौकीदार के भाई शकील की उपस्थिति मे की गई जहां मौके पर अवैध खनन की पृष्टी होती है तथा 30570 घनमीटर खनिज बजरी, रेत, बोल्टर (मिश्रित उपखनिज) का अवैध खनन किया गया है। तथा मौके पर उपस्थित स्थानिय व्यक्तियो द्वारा बताया गया है कि उक्त विपक्षीगणो उल्लिखित व्यक्तियो 1. श्री इस्लाम पुत्र श्री हाजी फतेह 2. फुरकान पुत्र रियाज 3. रिजवान पुत्र इस्लाम 4. इरफान पुत्र इस्लाम

Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फार्म -1)

5. अकरम पुत्र असलम 6. सटदाम पुत्र यामिन 7. महताब पुत्र यामिन 8. राशेद 9. साजिद पुत्र हारून निवासीगण ग्राम ताजेवाला थाना प्रतापनगर जिला युमनानगर(हरियाणा) द्वारा अवैध खनन किया गया है अतः उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के बालू बजरी, बोल्टर(मिश्रित उपखनिज) लगभग 30570 घनमीटर का अवैध खनन किया है जो कि सरकारी सम्पत्ति की चोरी है। उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने एवं आवश्यकत कानूनी कार्यवाही करने की कृप करे। दिनांक 25.04.19 भवदीय sd अग्रेजी अपठित 25.04.19 (मो0 एजाज) खान निरीक्षक सहारनपुर मो0 7869952201 नोट: श्री एचसी 139 वीरेंद्र कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल सीसीटीएनएस पर मेरे द्वारा बोल बोल कर कम्प्यूटर आपरेटर हीरा लाल द्वारा शब्द ब शब्द अंकित करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item (की गयी कार्यवाही): चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): VISAMBHAR SINGH Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.):790930251 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया)

(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण)

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): POLICE STATION MIRZAPUR

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454404189

FIRST INFORMATION REPORT(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)1. District (जिला): सहारनपुर P.S. (थाना): मिर्जापुर Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0086 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 27/04/2019 21:29 बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
4	उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली, 1963	3
5	उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली, 1963	57
6	उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली, 1963	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शनिवार Date From (दिनांक से): 27/04/2019 Date To (दिनांक तक): 27/04/2019
Time Period (समय अवधि): पहर 6 Time From (समय से): 16:45 बजे Time To (समय तक): 16:45 बजे(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 27/04/2019 Time (समय): 21:10 बजे(c) General Diary Reference (रोजनामवा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 026 Date & Time (दिनांक और समय): 27/04/2019 21:10 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 14 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम फडाईवाला, ग्राम रुन्ना, ग्राम खेडी

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): मौ० एजाज खान निरीक्षक

(b) Father's Name (पिता का नाम): शेख आबिद

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1987 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान अनुभाग कलेक्ट्रेट, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

[Signature]
G.S. 2019

2	स्थायी पता	खनन अनुभाग कलेक्ट्रेट, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
---	------------	--

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7869952201

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	हारून		पिता का नाम : अज्ञात	1. ग्राम कण्डाईवाला, मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	जीजू		पिता का नाम : अज्ञात	1. ग्राम खैरी, मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
3	अमरीश		पिता का नाम : शेरसिंह	1. ग्राम डूडूमाजरा, मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
4	नौशाद		पिता का नाम : अज्ञात	1. ग्राम भरावड, मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
5	रागीब मुखिया		पिता का नाम : अज्ञात	1. ग्राम पाडली, मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
6	मान		पिता का नाम : अज्ञात	1. ग्राम लोधीबांस, मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
7	विशेष		पिता का नाम : अज्ञात	1. ग्राम डूडूमाजरा, मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
8	महफूज		पिता का नाम : लुकमान	1. ग्राम कण्डाईवाला, मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs./-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

10. Total value of property (In Rs./-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र. सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी: सेवा मे थानाध्यक्ष थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर महोदय अवगत कराना है कि समाचार पत्र अमर उजाला दिनांक 27.04.19 मे प्रकाशित शीर्षक रात मे यमुना मे हो रहा अवैध खनन समाचार का संज्ञान लेते हुए दिनांक 27.04.18 को समय 4.15 बजे साय ग्राम कण्डाईवाला, छज्जा व खेडी मे यमुना नदी मे हुए अवैध खनन बालू, बजरी बोल्टर (मिश्रित उपखनिज) की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम छज्जा मे ग्राम कण्डाईवाला की सीमा के पास यमुना नदी मे 06 गड्ढे व 01 गड्ढा हाई टेशन टावर के पास टेंबा गया है जिनकी मौके पर पैमाईश की गई जिसमे कुल लगभग 29239 घ0 मी0 बालू, बजरी, बोल्टर (मिश्रित उपखनिज) का अवैध खनन होना पाया गया एवं यमुना नदी मे हाईटेशन टावर से अपस्ट्रीम मे ग्राम खेडी मे यमुना नदी मे 01 गड्ढा पाया गया, जिसकी पैमाईश की गई, पैमाईश के अनुसार उक्त क्षेत्र मे 3645 घ0 मी0 बालू, बजरी, बोल्टर(मिश्रित उपखनिज) का अवैध खनन पाया गया है। उपरोक्त क्षेत्रो मे किये गये अवैध खनन कर्ताओ के बारे मे स्थानीय स्तर पर ग्राम वासियो से पूछताछ की गयी, पूछताछ मे स्थानीय व्यक्तियो द्वारा अपना नाम अवैध खननकर्ताओ के डर के कारण नही बताया गया। स्थानीय स्तर पर की गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियो द्वारा संगठित रूप से रात्रि के समय लगभग 11.00 बजे से सुबह 4.00 बजे के मध्य किया जाना बताया गया 1. हारून पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम कण्डाईवाला थाना मिर्जापुर, सहारनपुर 2. जीजू पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम खैरी थाना मिर्जापुर सहारनपुर 3. अमरीश पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम डूडूमाजरा थाना मिर्जापुर सहारनपुर 4. नौशाद पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम भरावड थाना मिर्जापुर सहारनपुर 5. रागीब मुखिया पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम पाडली थाना मिर्जापुर सहारनपुर 6. मान पुत्र अज्ञात निवासी

ग्राम लोधीबांस थाना मिर्जापुर सहारनपुर 7. विशेष पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम डूडमाजरा थाना मिर्जापुर सहारनपुर 8. महफूज पुत्र लुकमान निवासी ग्राम कण्डाईवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर आदि। अतः उपरोक्त क्षेत्र ग्राम छप्पा व खेडी में किये गये कुल 32884 घनमीटर (लगभग) बालू, बजरी, बोल्टर (मिश्रित उपबनिज) का अवैध खनन उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया है जिनके विरुद्ध खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4/21 उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 3, 57 व 70 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। दिनांक 27.04.19 भवतीय Sd अयेजी अमठित 27.04.19 (मो0 एजाज) खान निरीक्षक सहारनपुर मो0 7869952201 नोटः मैं एचसी 139 धीरेन्द्र कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल सीसीटीएनएस पर मेरे द्वारा बोल बोल कर कम्प्यूटर आपरेटर हीरा लाल द्वारा शब्द ब शब्द अंकित करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है

- (1) Registered the case and took up the investigation: or
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Shравan kumar Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No.(सं.): to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

- (4) Transferred to P.S. District on point of Jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): POLICE STATION MIRZAPUR
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454404189

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): POLICE STATION MIRZAPUR
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454404189

FIRST INFORMATION REPORT(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 टंड प्रक्रिया सहिता के तहत)1. District (जिला): सहारनपुर P.S. (थाना): चिलकाना Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0266 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 18/07/2019 20:32 बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा टं सं 1860	420
2	भा टं सं 1860	467
3	भा टं सं 1860	468
4	भा टं सं 1860	471
5	भा टं सं 1860	379
6	भा टं सं 1860	411
7	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	2
8	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
9	खान अधिनियम, 1952	4
10	खान अधिनियम, 1952	21

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शनिवार Date From (दिनांक से): 13/07/2019 Date To (दिनांक तक): 13/07/2019
Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 18/07/2019 Time (समय): 20:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 049 Date & Time (दिनांक और समय): 18/07/2019 20:15 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पश्चिम, 06 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): निकट ग्राम तेलीपुरा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): मौ० एजाज खान अधिकारी स०पुर

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान निरीक्षक सहारनपुर, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खान निरीक्षक सहारनपुर, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	प्रभजीत सिंह		पिता का नाम : जसवीर सिंह	1. एम1 इंडस्ट्रियल एरिया, यमुना नगर, हरियाणा, भारत
2	सुमित पंवार		पिता का नाम : बिरम सिंह	1. नयागाव हरपाल, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
3	नरेन्द्र कुमार		पिता का नाम : पूर्ण सिंह	1. बोन्सा, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
4	इकबाल		पिता का नाम : वहीद	1. बुढनपुर, गंगोह, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
5	प्रमोद कुमार		पिता का नाम : पूर्ण सिंह	1. बोन्सा, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
6	04 चालक		पिता का नाम : अज्ञात	1. अज्ञात, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर सेवा मे थानाध्यक्ष चिलकाना महोदय, अगवत कराना है कि दिनांक 13-07-2019 को रात्रि ग्राम तेलीपुरा मे आकास्मिक जांच के दौरान खनिजो से भरे हुए 12 वाहनो को अवैध खनन परिवहन करते हुए पकडा गया था जिसे आपकी सुपुर्दगी मे दिया गया था। वाहन चालक मौके से वाहन छोडकर भाग गये थे। उन 12 वाहनो मे से 04 वाहन स्वामियो द्वारा हरियाणा सरकार के पट्टाधारक प्रभजीत सिंह द्वारा निर्गत खनिजो का परिवहन हेतु प्रपत्र एवं बिल प्रस्तुत कर शमन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16-07-2019 दिया गया था। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-क्र.सं.वाहन संख्याप्रपत्र मे अंकित खनिज का नामवाहन मे उपलब्ध खनिज व मात्रा(घ0मी0 मे)हरियाणा प्रपत्र संख्यावाहन स्वामी का नाम व पता1एचआर65 9988बालूगिट्टी 30सी-69360812000013717108सुमित पंवार पुत्र श्री बिरम सिंह पता ग्राम नयाबांस हरपाल थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर2यूपी11बीटी2838बालूगिट्टी 20सी-69359412000013717094नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री पूर्ण सिंह पता बोन्सा सरसावा सहारनपुर3एचआर45बी 0075बालूगिट्टी 23सी-69357712000013717077इकबाल पुत्र श्री वहीद निवासी बुढनपुर गंगोह तह0 नकुड सहारनपुर4यूपी11बीटी1397बालूगिट्टी 20सी-69372012000013717220प्रमोद कुमार पुत्र श्री पूर्ण सिंह निवासी बोन्सा सरसावा सहारनपुरउपरोक्त वाहन स्वामियो द्वारा जो हरियाणा सरकार के पट्टाधारक प्रभजीत सिंह का परिवहन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा छपे हुए प्रपत्र मे खनिज बालू अंकित है जबकि गाडी मे गिट्टी लदा हुआ है परिवहन प्रपत्र मे जो बार कोड चिपकाये गये है उसे स्कैनिंग करने पर Receipt had not been scanned at plot, hence its illegal पाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत परिवहन प्रपत्र प्रथम दृष्टिया फर्जी तथा अवैध है। परिवहन प्रपत्र के साथ जो बिल लगा हुआ है उसमे प्रभजीत सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह पता एम1 इण्डस्ट्रियल एरिया यमुनानगर हरियाणा द्वारा

जारी किया गया है। इस प्रकार खनन पट्टेधारक द्वारा फर्जी प्रपत्र के माध्यम से गिट्टी का अवैध परिवहन कराया गया है जिसमें पट्टेधारक के साथ-साथ वाहन चालक व वाहन स्वामी भी संलग्न हैं। अतः अनुरोध है कि फर्जी प्रपत्र के माध्यम से गिट्टी के अवैध परिवहन करने के कारण उपरोक्त चारों वाहन स्वामियों चालकों तथा हरियाणा राज्य के पट्टेधारक प्रभजीत सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह पता एम1 इण्डस्ट्रियल एरिया यमुना नगर हरियाणा के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करे। संलग्नक सत्यापित छायाप्रति 1-चारों वाहनों के परिवहन प्रपत्र व बिल की छायाप्रति 2- चारों वाहनों के बार कोड की स्कैन्ड कापी की छायाप्रति एसडी अग्नेजी अपठित 18/7/19(मो0 एजाज) खान निरीक्षक सहारनपुर मो0नं0- 7974098253 नोट तहरीर की नकल मुझ हे0का0 222 विनय कुमार द्वारा बोल बोलकर का0 1977 जीतपाल से टाईप करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है

(1) Registered the case and took up the investigation: PS Chilkana(I (Inspector)) / 9454404179 or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No.(सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PS Chilkana

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454404179

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि जात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					
3	पुरुष					
4	पुरुष					
5	पुरुष					
6	पुरुष					
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)				Others (अन्य)	
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोटेर्मा(सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	
					20	

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

FIRST INFORMATION REPORT(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): सहारनपुर

P.S. (थाना): चिलकाना

Year (वर्ष): 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0270

Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 23/07/2019 19:11 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम)

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	420
2	भा द सं 1860	467
3	भा द सं 1860	468
4	भा द सं 1860	471
5	भा द सं 1860	379
6	भा द सं 1860	411
7	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	2
8	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
9	खान अधिनियम, 1952	4
10	खान अधिनियम, 1952	21

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शनिवार

Date From (दिनांक से): 20/07/2019

Date To (दिनांक तक): 20/07/2019

Time Period (समय अवधि): पहर 1

Time From (समय से): 00:00 बजे

Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 23/07/2019

Time (समय): 19:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 039

Date & Time (दिनांक और समय): 23/07/2019 19:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्वोत्तर, 08 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): निकट ग्राम पंचकुआ

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): मो० एजाज खान निरीक्षक स०पुर

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)

Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खनन कार्यालय सहारनपुर, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खनन कार्यालय सहारनपुर, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / सदिग्ध / अजात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अजात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	उस्मान		पिता का नाम : मौ0 हसन	1. दूधगढ, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	आजम		पिता का नाम : तैय्यब	1. दूधगढ, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
3	प्रभजीत सिंह		पिता का नाम : जसवीर सिंह	1. एम-1 इण्डस्ट्रियल एरिया, यमुना नगर, हरियाणा, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र. UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.))

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर सेवा मे थानाध्यक्ष चिलकाना महोदय, अगवत कराना है कि दिनांक 20-07-2019 को रात्रि ग्राम पंचकुआ मे थाना चिलकाना पुलिस बल एवं खनन विभाग द्वारा आकस्मिक जांच के दौरान खनिज से भरे हुए 01 वाहन संख्या यूपी 11एटी 5077 को उपखनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकडा गया था जिसे आपकी सुपुर्दगी मे दिया गया था। उक्त वाहन स्वामी द्वारा हरियाणा सरकार के पट्टाधारक प्रभजीत सिंह द्वारा निर्गत खनिजो का परिवहन हेतु प्रपत्र एवं बिल प्रस्तुत कर शमन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20-07-2019 दिया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-क्र.स.वाहन संख्याप्रपत्र मे अकित खनिज का नामवाहन मे उपलब्ध खनिज व मात्रा(घ0मी0 मे)हरियाणा प्रपत्र संख्यावाहन स्वामी का नाम व पता 1यूपी 11 ए टी 5077बालूगिट्टी 20सी-29316612000013718316वाहन स्वामी- उस्मान पुत्र मौ0 हसन निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुरवाहन चालक आजम पुत्र श्री तैय्यब निवासी दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर उपरोक्त वाहन स्वामी द्वारा जो हरियाणा सरकार के पट्टाधारक प्रभजीत सिंह का परिवहन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा छपे हुए प्रपत्र मे खनिज बालू अकित है जबकि गाडी मे गिट्टी लदा हुआ है परिवहन प्रपत्र मे जो बार कोड चिपकाये गये है उसे स्केनिंग करने पर Receipt had not been scanned at plot, hance its illegal पाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत परिवहन प्रपत्र प्रथम टूटिया फर्जी तथा अवैध है। वाहन चालक श्री आजम पुत्र श्री तैय्यब द्वारा जो परिलहन प्रपत्र संख्या सी-293166 जिस पर बार कोड संख्या 12000013718316 प्रस्तुत किया गया था वह हरियाणा के पट्टाधारक द्वारा सरकारी प्रपत्र जैसा ही फर्जी प्रपत्र का प्रयोग किया गया है परिलहन प्रपत्र के साथ जो बिल लगा हुआ है उसमे प्रभजीत सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह पता एम-इण्डस्ट्रियल एरिया यमुना नगर हरियाणा द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार खनन पट्टेधारक द्वारा फर्जी प्रपत्र के माध्यम से गिट्टी का अलैध परिवहन कराया गया है जिसमे पट्टेधारक के साथ-साथ वाहन स्वामी उस्मान पुत्र मौ0 हसन निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर वाहन चालक आजम पुत्र श्री तैय्यब निवासी दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर भी संलिप्त है। अत अनुरोध है कि फर्जी प्रपत्र के माध्यम से गिट्टी के अवैध परिवहन करने के कारण (1) वाहन स्वामी उस्मान पुत्र मौ0 हसन निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर (2) वाहन चालक आजम पुत्र श्री तैय्यब निवासी दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर तथा हरियाणा राज्य के (3) पट्टाधारक प्रभजीत सिंह पुत्र श्री

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फार्म -1)

जसवीर सिंह पता एम-1 इण्डस्ट्रियल एरिया यमुनानगर हरियाणा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करे। संलग्नक सत्यापित छायाप्रति 1-वाहन के परिवहन प्रपत्र व बिल की छायाप्रति 2-वाहन के बार कोड की स्कैन्ड कापी की छायाप्रति 3. सुपुर्दगीनामा की छायाप्रति एसडी अग्नेजी अपठित 23/7/19(मो0 एजाज) खान निरीक्षक सहारनपुर मो0नं0- 7974098253 नोट तहरीर की नकल मुझ हे0का0 222 विनय कुमार द्वारा बोल बोलकर कंप्यूटर आपरेटर सोनू यादव से टाईप करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है

(1) Registered the case and took up the investigation: PS Chilkana(I (Inspector)) / 9454404179

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
No.(सं.):

Rank (पद):

to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इकार किया

(4) Transferred to P.S.

District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PS Chilkana

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454404179